संख्या-32/001/42डब्लू-1-25-27-3099-44-2025

प्रेषक,

चन्द्र भूषण
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2025**

विषयः मूलवाद संख्या-746/2013 एवं अपील संख्या-06/2024 सहजराम ठेकेदार बनाम उ0प्र0 सरकार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-151/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/सरयू परियोजना-प्रथम, दिनांक 04.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड-शारदा नहर, बाराबंकी में ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य के संबंध में रिट याचिका संख्या-746/2013 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2022 के विरूद्ध अपील संख्या-06/2024 सहजराम ठेकेदार बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.08.2024 एवं इराजयवाद संख्या-03.2023 के क्रम में भुगतान हेतु धनराशि रूपये 1,27,175.00 (रूपये एक लाख, सत्ताईस हजार, एक सौ पचहत्तर मात्र) का भुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: रिट याचिका संख्या-746/2013 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2022 के विरूद्ध अपील संख्या-06/2024 सहजराम ठेकेदार बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.08.2024 एवं इराजयवाद संख्या-03.2023 के क्रम में भुगतान हेतु धनराशि रूपये 1,27,175.00 (रूपये एक लाख, सत्ताईस हजार, एक सौ पचहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 1,27,175.00 (रूपये एक लाख, सत्ताईस हजार, एक सौ पचहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 भारित मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) कोषाधिकारी, बाराबंकी।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ।
(10) अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी।
(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।